फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

छगनलाल पिता हिरालाल बैरवा, निवासी 48/2, **A type,** जिंक कॉलोनी, राजपुरा दरिबा खान, दरिबा रेलमगरा जिला–राजसमन्द

– **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति0 कलक्टर, राजसमन्द

– **प्रत्यर्थी**

केस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 40/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 17.10.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1()सू0अ0,05/2019/701–02 दिनांक 09.10.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 26.07.2019 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना कार्यालय के प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभागा की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1()सू0अ0,05/2019/575 दिनांक 01.08.2019 को प्रेषित गया। प्रार्थी के आवेदन में वर्णित सूचनाओं के संबंध में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक प.1()राजस्व/सू.अ.,05/2019/2420 दिनांक 27.08.2019 से भिजवाई गई सूचना इस अनुभाग द्वारा प्रार्थी को जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1()सू0अ0,05/2019/648 दिनांक 28.08.2019 से प्रेषित की जा चुकी है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार वही सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है जो पहले से अभिलेखों में उपलब्ध हों। इस प्राधिकरण के पास अभिलेख पर जो सूचना है उसके अनुरूप प्रर्थी/अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया।	कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछीत सूचना कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार अपीलार्थी को सूचना प्रेषित किये जाने से अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द